न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 13 दायर दिनांक : 11.01.2021

हजारीराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी 5 एन.आर.डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ —प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 11.01.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के नाम से खातेदारी कृषि भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता सं. 127/204 के खसरा नं. 326 से पैमूद नया खसरा नं. 719/577 में 0.531 है0 बारानी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस खसरा के मूल खातेदारों ने खसरा नं. 326 के 5.08 बीघा रकबा में से रकबा आगे से आगे बेचान करने से 0.531 है0 रकबा ही वादी ने पंजीबद्ध बैयनामा से क्रय किया व 0.734 है0 रकबा महेन्द्र पुत्र गंगाजल जाति जाट ने क्रय कर लिया, जो खाता सं. 62/201 में खसरा नं. 326 से पैमूद नया खसरा नं. 716/577 में 0.734 है0 खातेदारी दर्ज है जिसमें से 0.235 है0 रकबा संपरिवर्तन हो जाने से नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज हुआ व शेष 0.499 है0 रकबा महेन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस खसरा में संजय पुत्र फतेहचन्द के नाम खाता सं. 106/203 के खसरा नं. 326 से पैमूद नया खसरा नं. 718/577 में 0.032 है0, व राधेश्याम पुत्र तारूराम मोची के नाम खाता सं. 85/202 के खसरा नं. 326 से पैमूद नया खसरा नं. 717/577 में 0.022 है0, केवल कृष्ण पुत्र वधावाराम वगैरह के नाम खाता सं. 16/14 के खसरा नं. 326 से पैमूद नया खसरा नं. 577/326 में 0.047 है0 रकबा खातेदारी दर्ज है एवं 1.012 है0 रकबा गैरमुमकिन मण्डी एरिया वर्तमान में नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज है। खसरा नं. 326 में कुल 13.04 बीघा

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(3.339 है0) रकबा स्थित है, परन्तु खसरा गिरदावरी में सम्वत् 2016 से ही इस खसरा में कुल 9.08 बीघा रकबा ही दर्ज चला आ रहा है, जो बाद में करीम पुत्र गुलाम तेली के नाम दर्ज था, जो बाद राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम कस्टोडियन भूमि मानते हुए दर्ज हुआ, तत्पश्चात् सेवाराम पुत्र अलदुराम के नाम कस्टोडियन आवंटी के नाम दर्ज हुआ व कालान्तर में इस रोही की प्रथम जमाबन्दी बनाते समय जमाबन्दी सम्वत् 2042 में इस रकबा में से 5.08 बीघा रकबा बनारसीदास वगैरह के नाम व 4.00 बीघा रकबा गैरमुमकिन मण्डी ऐरिया के नाम दर्ज हुआ। प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2042 में खसरा नं. 326 में कुल 9.08 बीघा रकबा ही दर्ज है, जबकि शेष 3.16 बीघा यानि 0.961 है0 रकबा आराजीराज दर्ज होना चाहिए था। इस 0.961 है0 रकबा में से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15/62 करीब 0.484 है0 रकबा में से निकलता है व शेष 0.477 है0 रकबा आज भी आराजीराज शेष है, जो शुद्ध आराजीराज बचता है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में 0.961 है0 रकबा किसी के नाम दर्ज नहीं है। रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में वर्तमान रिकॉर्ड में कुल 2.378 है0 रकबा ही दर्ज है जिसमें 1.366 है0 रकबा सभी खातेदारों का रकबा है व 1.012 है0 गैरमुमकिन मण्डी ऐरिया के नाम है। 1.366 है0 रकबा में से ही खातेदार महेन्द्र ने 0.235 है0 रकबा पेट्रोल पम्प के लिए संपरिवर्तन करवाया है व केवल कृष्ण ने भी 0.047 है0 रकबा संपरिवर्तन करवा लिया है जो नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम से है। इस प्रकार 0.961 है0 रकबा, जिसमें से 0.484 है0 रकबा में से राष्ट्रीय राजमार्ग चलता है, जो ना तो आराजीराज रकबा के नाम दर्ज है व ना ही राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का ने मौका पर जाकर पैमाईश कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.09.2018 में जमाबन्दी में खसरा नं. 326 का 0.961 है0 रकबा कम दर्ज होने का अंकन किया है। नायब तहसीलदार ने भी मौका पर गिरदावर व पटवारी हल्का को ले जाकर दिनांक 26.08.2020 को पैमाईश करवाई, उन्होंने भी रिपोर्ट में 3.16 बीघा रकबा जमाबन्दी में कम दर्ज होने का अंकन किया है। वादी ने उक्त 0.961 है0 रकबा जमाबन्दी में आराजीराज दर्ज करने हेतु जरिये वकील श्रीमान् जिला कलक्टर को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस भेजा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए वादी ने वाद–पत्र के साथ

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जमाबन्दियों, गिरदावरियों, पटवारी रिपोर्ट, नक्शा, उप तहसीलदार राजियासर का पत्र क्रमांक : राजस्व/2020/264 दिनांक 26.08.2020 मय फर्द मौका, न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ निर्णय दिनांक 13.05.2005, नोटिस 80 सी.पी.सी. की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 के कुल 3.339 है0 रकबा में से जमाबन्दी में 2.378 है0 रकबा ही दर्ज है व शेष 0.961 है0 रकबा आराजीराज मय सड़क दर्ज नहीं है, की घोषणा कर उक्त 0.961 है0 रकबा में से 0.484 है0 रकबा, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15/62 चल रहा है, को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15/62 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम व शेष 0.477 है0 रकबा आराजीराज दर्ज किये जाने या तमाम रकबा 0.961 है0 रकबा चालू जमाबन्दी में आराजीराज दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार राज ने जवाब स्टेट प्रस्तुत कर वाद में अंकित अधिकतर तथ्यों को रिकॉर्ड पर आधारित बताते हुए अंकन किया कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में कुल 3.339 है0 रकबा मुताबिक राजस्व नक्शा व कमेटी रिपोर्ट अनुसार है, परन्तु जमाबन्दी में केवल 2.378 है0 रकबा ही दर्ज है, जिसमें 1.012 है0 रकबा नगरपालिका के नाम है व 1.368 है0 खातेदारों के नाम है। इस प्रकार जमाबन्दी में 0.961 है0 रकबा कम दर्ज है। जवाबदावा के साथ कमेटी रिपोर्ट प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर वाद में अंकित, रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में 0.961 है0 रकबा अधिक होना स्वीकार करते हुए, सरकार के हित सुरक्षित रखते हुए प्रकरण में निर्णय किये जाने का निवेदन किया। वादी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के सम्बन्ध में वादी द्वारा नगरपालिका में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पैमाईश करवाई गई है जिसकी रिपोर्ट नगरपालिका द्वारा जारी की गई जिसके अनुसार खसरा नं. 326 में 0.484 है0 में राष्ट्रीय राजमार्ग 15/62 विद्यमान है, इसलिए प्रार्थना–पत्र के संलग्न नगरपालिका द्वारा जारी रिपोर्ट को

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रिकॉर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की। मुताबिक अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ पत्र क्रमांक : सामान्य/21/126 दिनांक 26.04.2011 खसरा संख्या 326 में रिलायंस पेट्रोल पम्प के आगे चल रहे एन.एच. 15/62 में 348 × 86 फुट 0.278 है0 क्षेत्रफल में सड़क, नाला व डिवाईडर निर्मित है एवं एन.एच. 15/62 की विद्यमान चौड़ाई 150 फुट अनुसार एन.एच. 15/62 का कुल क्षेत्रफल 348 × 150 कुल 0.484 है0 बनता है। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ की रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

जवाब आने के पश्चात् निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में कुल रकबा 13.04 बीघा (3.339 है0) रकबा मुताबिक नक्शा लट्ठे सजरेनुसार है व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व गिरदावरियों में केवल 9.08 बीघा (2.378 है0) रकबा बारानी दर्ज रिकॉर्ड है ? (वादी)
2. आया रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 के नक्शा में दर्ज रकबानुसार चालू जमाबन्दी व गिरदावरियों में 3.16 बीघा (0.961 है0) बारानी रकबा कम दर्ज है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने योग्य है ? (वादी)
3. आया रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में से 0.961 है0 रकबा में से 0.484 है0 रकबा में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 62, पुराना 15 चलता है, इसलिए यह 0.484 है0 रकबा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग नं. 62 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम व शेष 0.477 है0 रकबा आराजीराज दर्ज होने योग्य है ? (वादी)
4. अन्य अनुतोष।

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य प्राप्त किये गये। अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र के संलग्न दस्तावेजों व साक्ष्यों पर प्रदर्श अंकित करवाये। वादी की ओर से वादी स्वयं, केसरी सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 26, मोहनलाल कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका सूरतगढ़, शैलेन्द्र गोदारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ बयान शपथ–पत्र पेश किये गये, जिन पर जिरह पैरोकार राज द्वारा समायत की गयी। वादी द्वारा और

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया, लेकिन प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक : भू.अ./2023/734 दिनांक 17.03.2023 पेश की जिसके अनुसार मुताबिक पटवारी रिपोर्ट कस्बा सूरतगढ़ खसरा नं. 326 में जमाबन्दी अनुसार 9.08 बीघा रकबा दर्ज रिकॉर्ड है व खसरा नक्शा अनुसार 13.04 बीघा बनता है जिसकी तस्दीक पूर्व में खसरा नं. 326 की माप जोख हेतु गठित कमेटी द्वारा दिनांक 25.08.2020 को की जा चुकी है। साथ ही अंकन किया कि कस्बा सूरतगढ़ खसरा नं. 326 में खातेदारान अपने-अपने रकबा पर काबिज हैं। नगरपालिका के रकबे पर नगरपालिका का कब्जा है एवं खसरे में से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है एवं बाजार की तरफ आने वाली पक्की सड़क गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग का रकबा 1.18 बीघा है एवं शेष 1.18 बीघा रकबा बाजार सड़क का है। राष्ट्रीय राजमार्ग का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। रिपोर्ट के साथ फर्द मौका दिनांक 25.08.2020 की चित्रप्रति पेश की।

तनकी नं. 1 – आया रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में कुल रकबा 13.04 बीघा (3.339 है0) रकबा मुताबिक नक्शा लट्ठे सजरेनुसार है व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व गिरदावरियों में केवल 9.08 बीघा (2.378 है0) रकबा बारानी दर्ज रिकॉर्ड है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने वाद–पत्र के साथ संलग्न प्रदर्श नं. 14–बी रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 की पैमाईश हेतु गठित कमेटी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 25.08.2020 व प्रदर्श नं. 1 से 13 जमाबन्दियों, गिरदावरियों व नक्शा तथा स्वयं व गवाहान के शपथ–पत्रों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में मुताबिक नक्शा अक्स लट्ठा कुल रकबा 13.04 बीघा दर्ज है एवं राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी व गिरदावरियों में केवल 9.08 बीघा रकबा ही दर्ज रिकॉर्ड है। वादी स्वयं व गवाहान के शपथ–पत्रों का प्रतिपरीक्षण हो चुका है।

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादी स्वयं व गवाहान के शपथ–पत्रों के प्रति शपथ–पत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रतिवादी ने भी अपने जवाबदावा व रिपोर्ट क्रमांक 734 दिनांक 17.03.2023 में भी इसे स्वीकार किया है। वादी ने इस तनकी को सन्देह से परे सिद्ध किया है, इसलिए तनकी नं. 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया रोही करबा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 के नक्शा में दर्ज रकबानुसार चालू जमाबन्दी व गिरदावरियों में 3.16 बीघा (0.961 है0) बारानी रकबा कम दर्ज है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने योग्य है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से है जो बहक वादी निर्णय की जा चुकी है, जिसके अनुसार रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में मुताबिक नक्शा अक्स लट्ठा कुल रकबा 13.04 बीघा दर्ज है एवं राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी व गिरदावरियों में केवल 9.08 बीघा रकबा ही दर्ज रिकॉर्ड है अर्थात वादी यह सिद्ध करने में पूर्ण कामयाब रहा है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 के नक्शा में दर्ज रकबानुसार चालू जमाबन्दी व गिरदावरियों में 3.16 बीघा (0.961 है0) बारानी रकबा कम दर्ज है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने योग्य है। तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया रोही करबा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में से 0.961 है0 रकबा में से 0.484 है0 रकबा में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 62, पुराना 15 चलता है, इसलिए यह 0.484 है0 रकबा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग नं. 62 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम व शेष 0.477 है0 रकबा आराजीराज दर्ज होने योग्य है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी का आंशिक सम्बन्ध तनकी नं. 1 व 2 से है जो बहक वादी निर्णय की जा चुकी है, जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबन्दी व गिरदावरियों में खसरा नं. 326 में 3.16 बीघा (0.961 है0) बारानी रकबा कम दर्ज है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने योग्य है। वादी ने वाद में संलग्न दस्तावेजों व स्वयं एवं गवाहान के शपथ–पत्रों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में 0.961 है0 रकबा, जो जमाबन्दी व गिरदावरियों में कम दर्ज है, में से 0.484 है0 रकबा में राष्ट्रीय राजमार्ग नं.

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

62, पुराना 15 चलता है, इसलिए यह 0.484 है0 रकबा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग नं. 62 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम व शेष 0.477 है0 रकबा आराजीराज दर्ज होने योग्य है। वादी स्वयं व गवाहान के शपथ–पत्रों का प्रतिपरीक्षण हो चुका है। वादी स्वयं व गवाहान के शपथ–पत्रों के प्रति शपथ–पत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रतिवादी ने भी अपनी रिपोर्ट क्रमांक 734 दिनांक 17.03.2023 में भी स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में जमाबन्दी अनुसार 9.08 बीघा रकबा दर्ज रिकॉर्ड है व खसरा नक्शा अनुसार 13.04 बीघा रकबा बनता है अर्थात जमाबन्दी में खसरा नं. 326 का 3.16 बीघा रकबा कम दर्ज है। खसरा नं. 326 में खातेदारान अपने–अपने रकबा पर काबिज हैं एवं नगरपालिका के रकबे पर नगरपालिका का कब्जा है। इस खसरा नं. 326 में से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है जिसका क्षेत्रफल 1.18 बीघा है। वादी ने इस तनकी को सन्देह से परे सिद्ध किया है, इसलिए तनकी नं. 3 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 1 से 3 बहक वादी निर्णय की जा चुकी है। वाद पूर्ण रूप से सिद्ध होता है, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है व रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में खसरा नक्शा लट्ठानुसार कुल 13.04 बीघा (3.339 है0) बारानी रकबा दर्ज है, लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में केवल 9.08 बीघा (2.378 है0) बारानी रकबा ही दर्ज है, व शेष 3.16 बीघा (0.961 है0) बारानी रकबा कहीं दर्ज नहीं है, इसलिए उक्त शेष 3.16 बीघा (0.961 है0) बारानी रकबा जमाबन्दी में खसरा नं. 326 में बढ़ाया जाकर, इस रकबा में से 0.484 है0 रकबा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग नं. 62 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम एवं शेष 0.477 है0 बारानी रकबा आराजीराज घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार सूरतगढ़ को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–

हजारीराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी 5 एन.आर.डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **–वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ **–प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 13 वर्ष 2021 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री शिशपाल शर्मा एवं पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार किया जाता है व रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 326 में खसरा नक्शा लट्ठानुसार कुल 13.04 बीघा (3.339 है0) बारानी रकबा दर्ज है, लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में केवल 9.08 बीघा (2.378 है0) बारानी रकबा ही दर्ज है, व शेष 3.16 बीघा (0.961 है0) बारानी रकबा कहीं दर्ज नहीं है, इसलिए उक्त शेष 3.16 बीघा (0.961 है0) बारानी रकबा जमाबन्दी में खसरा नं. 326 में बढ़ाया जाकर, इस रकबा में से 0.484 है0 रकबा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग नं. 62 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम एवं शेष 0.477 है0 बारानी रकबा आराजीराज घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार सूरतगढ़ को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11.01.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)